



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून - 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : info@uau.ac.in

पत्रांक : /उ0आ0वि/आदेश/2015

दिनांक : 18 मई, 2015

कार्यालय आदेश

गुरुकुल तथा ऋषिकुल परिसर में कार्यरत समस्त कार्मिकों समय-समय पर जैसे संकाय सदस्यों/चिकित्सकों/तकनीकी कर्मचारी एवं कार्यरत समस्त कर्मचारियों की उत्पन्न होती है। अतः इस सम्बन्ध में दोनों परिसरो हेतु मे कार्यरत कार्मिको की समस्याओं के निवारण हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्राप्त प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक "कार्मिक शिकायत निवारण सैल" (Personnel Grievance Redressal Cell) गठित की जाती है:-

1. अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय	—	अध्यक्ष
2. निदेशक परिसर, ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार	—	सदस्य
3. निदेशक परिसर, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	—	सदस्य
4. प्रो0 मीना अहूजा	—	सदस्य
5. प्रो0 अवधेश मिश्रा	—	सदस्य सचिव
6. डॉ0 बिरेंद्र कुमार	—	सदस्य
7. श्री रवि किशोर चौहान	—	सदस्य
8. श्रीमति मंजू पाण्डेय	—	सदस्य
9. श्री शिव नारायण	—	सदस्य
10. श्री राज किशोर	—	सदस्य

उपरोक्त समिति दोनों परिसरों में कार्यरत कार्मिको की समस्याओं को संकलित कर प्रत्येक माह में एक बार बैठक आहूत कर समस्याओं का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर करेगी। यदि कोई प्रकरण परिसर निदेशक स्तर से निस्तारण होना होगा तो तदनुसार कार्यवाही करेगी और यदि किसी प्रकरणों में विश्वविद्यालय स्तर से निस्तारण किया जाना है तो समिति प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्य मय सुझावों सहित प्रस्ताव जिसमें समस्त नियम, परिनियम व आवश्यक अभिलेखों सहित बैठक आहूत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर registrar@uau.ac.in ई-मेल पर उपलब्ध करायेगी साथ ही समिति का एक सदस्य समस्त अभिलेखों को व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा।

उपरोक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्बन्धित की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।


नोट:- उपरोक्त गठित समिति में नामित सदस्य सचिव की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्येक माह में एक बैठक आहूत कराने की व्यवस्था करेंगे तथा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को भी आवश्यक रूप से अवगत करायेगें।

(डॉ0 मृत्युंजय कुमार)
कुलसचिव

पत्रांक : ३२० /उ०आ०वि/आदेश/२०१५ तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी/सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड को मा० राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, आयुष एवं आयुष शिक्षा को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. स्टाफ आफिसर, मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. परिसर निदेशक, ऋषिकुल/गुरुकुल (हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
6. उपरोक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी।
7. प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून।
8. ~~वेबसाइट प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त समिति को बैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।~~
9. गार्ड फाइल।



(डॉ० मृत्युंजय कुमार)
कुलसचिव